षोडश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-20.02.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री तारकिशोर प्रसाद, स०वि०स० श्री श्याम रजक, स०वि०स० श्री ललन पासवान, स०वि०स० श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स० श्री सुबाष सिंह, स०वि०स० श्री शकील अहमद खाँ, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-224) श्री निरंजन राम, स०वि०स० श्री नौशाद आलम, स०वि०स०	"राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में सामूहिक रूप से मृत्यु एवं घायल होने पर स्थानीय प्राकृतिक आपदा मद से मृतकों के परिजनों को चार लाख रूपये एवं घायल व्यक्ति को चार हजार तीन सौ रूपये या बारह हजार रूपये की राशि दी जाती है लेकिन सड़क दुर्घटना में सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को अनुदान नहीं दिया जाता है, जो न्यायसंगत नहीं है । अतः सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की भी मृत्यु पर उनके परिजन को चार लाख रूपये अनुदान की राशि देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	आपदा प्रबंधन

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स०	"वर्ष-1990 में दफादार-चौकीदारों को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बनाया गया । वर्ष 1995 में, 1990 के बाद सेवानिवृत्त दफादार चौकीदारों के आश्रितों की बहाली के लिए आदेश निर्गत किया गया लेकिन जिला स्तर पर इसका अनुपालन सही ढंग से नहीं हुआ जिसके कारण बहुत कर्मी छूट गये । पटना जिला में एक भी बहाली नहीं हो पायी । बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 बनाकर उसे रोक दिया गया । अब बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2014 के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत आश्रितों की बहाली हो रही है । अत: पूर्व के शेष बचे (1990 से 05.03.2014 तक) दफादार-चौकीदारों के आश्रितों की नियुक्ति हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	गृह

बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-06/19- २२५ / वि०स०, पटना, दिनांक-18 फरवरी, 2019 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / आपदा प्रबंधन विभाग तथा गृह विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/2/19

(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-06/19- २२५ / वि०स०, पटना, दिनांक-18 फरवरी, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

18/2/19

(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।